रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

नियमित जमानत आवेदन संख्या–111/2026

1. मनीष कुमार
पिता–मिथलेश कामती उम्र करीब 23 वर्ष
साकिन–पामा वार्ड नं.06, थाना–पस्तपार
जिला–सहरसा ....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

11.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त मनीष कुमार जो दिनांक–24.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत केस पस्तपार थाना कांड संख्या–112/2025 धारा–137(2), 87, 352, 351(2), 3(5) B.N.S. के तहत दर्ज है।

जमानत आवेदन आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। मूल अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि केस में अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल कर समर्पित किया गया है एवं आवेदक को कारा से मुक्त किया जा चुका है।

अतः उक्त तथ्यो, परिस्थितियों के आलोक में जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। तदनुसार, आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अपोषणीयता के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम